जिला कलैक्टर
28/15 श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 28/2015 अनवानी महेन्द्र सिंह पुत्र जुम्मासिंह जाति बावरी निवासी खरलां तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–नानूराम पुत्र सन्ताराम जाति बावरी निवासी खरंला तहसील श्रीकरनपुर 2–वीरो 3–गोरखा 4–जग्गासिंह 5–जीतसिंह 6–एसडीओ श्रीकरनपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। प्रार्थी के अभिभाषक को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी महेन्द्र सिंह ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 33/2004 अनवानी महेन्द्रसिंह आदि बनाम नानूराम आदि अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है और खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्राथी द्वारा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

938
18-5-16

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर